ORDER SHEET

नेशनल लोक अदालत खण्डपीठ कं. 05

आपराधिक प्रकरण कमांक– 1478/2022

छ.ग. राज्य विरूद्ध करण सिंह चुरेन्द्र वगैरह

Date of Order or Proceeding	Order of Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
09.09.2023	आज यह प्रकरण नेशनल लोक अदालत खण्डपीठ कं0 05 में प्रस्तुत हुआ। **आरोपीगण करण सिंह चुरेन्द्र, बेदराम चुरेन्द्र** सहित/वाट्सअप विडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित। आरोपीगण की ओर से श्रीमती रीता पाण्डेय अधिवक्ता उपस्थित। **प्रार्थी/आहत गुलाब सिंह चुरेन्द्र** स्वतः/वाट्सअप विडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित। इसी स्तरे पर **प्रार्थी/आहत गुलाब सिंह चुरेन्द्र** की ओर से संयुक्त आवेदन पत्र/डाकेट फार्म अंतर्गत धारा 320(1), 320(2) दण्ड प्रकिया संहिता का राजीनामा आवेदन पत्र/डाकेट फार्म पेश किया गया, जिसका निराकरण किया जा रहा है। उक्त आवेदन पर विचार किया गया। आपसी राजीनामा आवेदन के संबंध में **प्रार्थी/आहत गुलाब सिंह चुरेन्द्र** को पुछे जाने पर प्रार्थी/आहत के द्वारा स्वेच्छापूर्वक आरोपीगण से राजीनामा किया जाना व्यक्त किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि **आरोपीगण** के विरूद्ध अपराध **धारा 294, 506 बी, 323, 325/34 भारतीय दंड संहिता** का अभियोजित आरोप है। धारा 320(1), 320(2) दण्ड प्रकिया संहिता एवं डाकेट फार्म के प्रावधानों के अनुसार **धारा धारा 294, 506 बी, 323, 325/34 भारतीय दंड संहिता** का अपराध न्यायालय के अनुज्ञा से शमनीय प्रकृति का अपराध है। **प्रार्थी/आहत** से पूछे जाने पर उसकी ओर से न्यायालय में राजीनामा आवेदन पेश किया जाना बतलाया गया है। अतः यह समाधान होता है कि प्रार्थी/आहत एवं आरोपीगण के मध्य राजीनामा हो चुका है। उभय पक्षों के मध्य अब कोई विवाद नहीं है। प्रार्थी एवं आरोपीगण के विरूद्ध प्रकरण में अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में उभयपक्षों की ओर से पेश आपसी राजीनामा आवेदन का समाधन मानते हुए उभयपक्षों को राजीनामा की अनुमति प्रदान कर उनकी ओर से पेश राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है। **आरोपीगण करण सिंह चुरेन्द्र, बेदराम चुरेन्द्र,** को **धारा 294,**	

506 बी, 323, 325/34 भारतीय दंड संहिता के आरोप का शमन होने के आधार पर **दोषमुक्त** किया जाता है।

आदेश सीआईएस साफ्टवेयर में अपलोड किया जावे।

आरोपी के द्वारा पेश जमानत मुचलका उन्मुक्त किया जाता है।

प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति एक बांस की लाठी, मूल्यहीन होने से नष्ट किया गया।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख अभिलेखागार भेजा जावे।

सही/–	सही/–	सही/–
श्री उमेश कुमार जैन	श्रीमती नर्मदा निषाद	कु. कोनिका यादव
सदस्य	सदस्य	पीठासीन अधिकारी
नेशनल लोक अदालत	नेशनल लोक अदालत	नेशनल लोक अदालत
खं0पी0 क्रं0–5	खं0पी0 क्रं0–5	खं0पी0 क्रं0–5
बालोद छ0ग0	बालोद छ0ग0	बालोद छ0ग0